

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

जीवणराम

बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

गोपालराम वगैरह

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 129 / 2024

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
29.04.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 128 आरएलआर एक्ट 1956 के तहत दिनांक 22.03.2024 से न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी को पूर्व में अनेक अवसर दिये गये है। साथ ही प्रकरण में हिदायत के साथ अन्तिम अवसर सीपीसी प्रावधानुसार कार्यवाही की जाने की हिदायत के साथ दिनांक 18.09.2025, 15.10.2025, 16.01.2026 को प्रदत्त किया गया। परन्तु वकील प्रार्थी ने प्रकरण हाजा में आदिनांक तक तामील हेतु सम्मन तक पेश नहीं किये। तथा ना ही साबिका आदेश की पालना में आज दिनांक को सम्मन तलबाना पेश किये है।</p> <p>चूंकि प्रकरण हाजा सम्मरी प्रोसेडिंग का है, जिनके निस्तारण के लिए समय सीमा 3 माह की अवधि निर्धारित है। अतः प्रार्थी अधीन धारा 128 आरएलआर एक्ट 1956 बावजूद हिदायत अप्रार्थीगण की तामील किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश-9 नियम-5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p>(दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) उपखण्ड अधिकारी नावां</p>	